

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छवड़ा जिला बारा (राज.)

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
44/20	212 RTA	अमीनपुर नयागांव	छवड़ा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
पप्पू	बनाम कमलेशबाई		

वकील :- उमाशंकर गोक्षामी एडवो.

आदेश पत्रक

वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
11/20	<p>अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट विरुद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण गण को जर्जे सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 08.12.2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">[Signature] 18/11/20</p>	
8/12/20	<p>न्यायालय अधिकारी के अन्य कार्य में बाध होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 13.01.21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">[Signature] न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छवड़ा (बारा)</p>	
13/01/21	<p>अजय पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में बाध होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 31.01.21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">[Signature] न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छवड़ा (बारा)</p>	
03/02/21	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित प्रतिवादी गणों के वास नामील समत प्राप्त जो शां. फि. है। प्रतिवादी गण वावजूद सूचना के अनुपस्थित इनके विरुद्ध एक बरका कार्यवाही की जाती है। बरका समझपवली पत्रावली दिनांक 09.03.21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">[Signature]</p>	

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

शिविर...~~भरखंडी~~... पर पत्रावली पेश

हुई। पशुकारान उपस्थित/अनुपस्थित।


कार्यवाही नहीं हो सकी। पूर्ववत पत्रावली

कार्यालय में दिनांक 20/12/21

को पेश हो। 

15<sup>3</sup>/<sub>22</sub>

पत्रावली पेश हुई। वकील प्राप्ति उपस्थित। कहस नहीं हो सकी है। वास्ते कहस पत्रावली दिनांक 23/12/22 को पेश हो।



23<sup>3</sup>/<sub>22</sub>

पत्रावली पेश हुई। वकील प्राप्ति उपस्थित। कहस नहीं हो सकी है। समय — जाहा है वास्ते कहस पत्रावली दिनांक 9/3/22 को पेश हो।



4<sup>3</sup>/<sub>22</sub>

पत्रावली पेश हुई। वकील प्राप्ति उपस्थित। कहस नहीं हो सकी है वास्ते कहस पत्रावली दिनांक 28/3/22 को पेश हो।



28<sup>3</sup>/<sub>22</sub>

पत्रावली पेश हुई। वकील प्राप्ति अनुपस्थित। तीन बार आवान पुकारवाई गई। कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी खारिज बिष्पी जाता है पत्रावली फ़ैसल सुनार होकर कारिकल इफ्तार हो।

